कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 554 /सी/प्राधि. **दिनांक 01 जनवरी 2018**

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषयः गन्ना विकास विभाग में भ्रष्टाचार में जीरो टॉलेरेन्स की नीति के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलेरेन्स की नीति अपनाये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति का कार्य सम्पादित किया जाता है। गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, उपज बढोत्तरी, पर्ची निर्गमन एवं गन्ना मूल्य भुगतान में कृषक एवं समिति कार्मिक आपस में सीधे जुडे रहते हैं। उक्त के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा समयान्तर्गत कार्य न होने एवं उन्हें अनावश्यक परेशान किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। समयान्तर्गत कार्य निस्तारित न होने की स्थिति में भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है। अतः गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित उक्त कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखते हुए पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कृषकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि भ्रष्टाचार को बढावा न मिले और शासन की भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेन्स की नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

उक्त के अतिरिक्त सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों की देयता का भुगतान समयान्तर्गत न किये जाने की स्थिति में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि, सेवानिवृत कार्मिकों के साथ सहानुभूति का रवैया अपनाते हुए देयता का भुगतान ससमय सुनिश्चित करा दिया जाय। पूर्वांचल की गन्ना समितियों जहां पर धनाभाव की स्थिति है, धन की उपलब्धता होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों की देयता का भुगतान समानुपातिक रूप से न करके मनमाने ढंग से भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है। जांच के समय कोई प्रमाण उपलब्ध न होने का उल्लेख करते हुए आख्या प्रेषित कर दी जाती है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपनाई जा रही भ्रष्टाचार में जीरो टॉलेरेन्स की नीति के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि, अपने जनपद की समस्त सचिवों की बैठक आहूत कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलेरेन्स की नीति से अवगत कराते

हुए प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य निष्पादित करने एवं अधीनस्थ कार्मिकों पर पैनी निगाह रखना सुनिश्चित करें तथा शिकायत प्राप्त होने पर गोपनीय तरीके से साक्ष्य हेतु वीडियो तैयार करलें।

उपर्युक्त के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि, उक्त के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ–साथ सहकारी गन्ना समितियों के सचिवों एवं अधीनस्थ कार्मिकों पर सतत् पैनी निगाह रखें तथा यदि किसी कार्मिक द्वारा गन्ना कृषकों अथवा सेवानिवृत/कार्यरत कार्मिकों के साथ भ्रष्टाचार का कृत्य संज्ञानित होता है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु सक्षम स्तर को तत्काल आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायी जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 354 /सी/प्राधि. तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां, उ.प्र.।
2. समस्त अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समितियां,उ.प्र.।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उ.प्र.।